भारत सरकार / Government of India परमाण् ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र / Variable Energy Cyclotron Centre

1/एएफ., बिधान नगर/1/AF Bidhan Nagar, कोलकाता-700064/Kolkata-700064

सं/Ref: वीईसीसी/VECC/प्रशा./Adm/साप्र/GA/परिपत्र/Circular/2014/875

मई/May 10, 2014

विषय: अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) के तहत इन-विट्रो निषेचन (आईवीएफ) की उपचार की स्वीकार्यता के बारे में।

Sub: Admissibility of In-Vitro Fertilisation (IVF) treatment under CHSS-Reg.

प.उ.वि. दिनांक 19/05/2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/16/2013/IR&W/2011 के माध्यम से सीएचएसएस के अंतर्गत इन-विट्रो निषेचन (IVF) उपचार की स्वीकार्यता के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। इसकी एक प्रति सूचनार्थ संलग्न की जा रही है।

DAE vide Office Memorandum No. 7/16/2013/IR&W/2011 dated 19/05/2014 has issued guidelines for admissibility of In-Vitro Fertilisation (IVF) treatment under CHSS, a copy of which is enclosed for information.

इस केन्द्र में कार्य करने वाले सभी अधिकारी एवं कर्मचारी/सीएचएसएस के लाभार्थी कृपया उपरोक्त नोट को ध्यान में रखें।

All the staff members working in this centre/CHSS beneficiaries may please take note of the above.

संलग्नक/Encl.: यथोपरि/as above

अजन कुमा प्राप्त (ए. के. पात्रा/A. K. Pattra) 23

सहायक कार्मिक अधिकारी/Assistant Personnel Officer

सूचना पट्ट/Notice Boards

प्रतिलिपि अग्रेषित/Copy forwarded to:

- 1. प्रमुख, चिकित्सा अनुभाग, वीईसीसी/Head, Medical Section, VECC
- 2. उप लेखा नियंत्रक, वीईसीसी/DCA, VECC
- 3. सहायक निदेशक, (राभा), वीईसीसी/AD (OL), VECC



(會 022-22862703) ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA परमाणु कर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं, एवं क. अनुभाग IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai - 400 001

Ø 0001/0005

मई/ May/१, 2014

सं.No. 7/16/2013/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/ 2011

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय : अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) के तहत इन-विट्रो निषेचन (आईबीएफ) उपचार की स्वीकार्यता के बारे में

Sub: Admissibility of In-Vitro Fertilisation (IVF) treatment under CHSS - Reg.

इस विभाग में, सीजीएचएस/सीएस(एमए) नियमावली तथा डीओएस- सीएचएसएस की तरह सीएचएसएस के तहत इन-विट्रो निषेचन (आईवीएफ) के व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकार्यता के लिए इस विभाग की विभिन्न इकाइयों के कर्मचारियों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

Department has been receiving requests from the employees of various units under Department for admissibility of reimbursement of expenses on In-Vitro Fertilisation (IVF) treatment under CHSS on the line of CGHS/CS(MA) Rules and DOS-CHSS.

 इस मामले की इस विभाग की सीएचएसएस पुनरीक्षा समिति द्वारा जांच की गयी है। उक्त समिति की सिफारिशों तथा सीजीएचएस तथा सीएस (एमए) नियमावली, 1944 के तहत हिताधिकारियों हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों/मानदंडों के आधार पर यह विभाग सीएचएसएस के तहत महिला कर्मचारियों/कर्मचारियों की पत्नियों हेतु आईवीएफ उपचार पर खर्च होने वाले व्ययं की प्रतिपूर्ति करने हेतु सहमत हो गया है, बशर्ते निम्नलिखित दिशानिर्देशों को पूरा किया जाए:

The matter has been examined by the CHSS Review Committee of the Department. Based on the recommendations of the Committee and guidelines/Criteria

A A OCCO) / Sabimal Saha/ P. Makherjee,

For na, please,

West, 291572014

Alstan

provided by the Ministry of Health and Family Welfare for beneficiaries under CGHS and CS(MA) Rules, 1944, Department has agreed reimbursement of expenses incurred on IVF treatment to women employees/wives of employees under CHSS, subject to fulfilling the following guidelines:

- (i) आईवीएफ उपचार प्रक्रिया की अनुमति केवल वंध्यत्व की स्थितियों में तथा दंपत्ति की कोई जीवित संतान न होने पर ही दी जाएगी; The IVF treatment procedure will be allowed only in cases of infertility where the couple has no living issue:
- (ii) आईवीएफ उपचार प्रक्रिया की अनुमित देने के पूर्व परंपरागत उपचार के असफल रहने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए;
 There should be clear evidence of failure of conventional treatment before permitting IVF treatment procedure;
- (iii) आईवीएफ उपचार करवाने वाली महिला की आयु 21 से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए ; The age of women undergoing IVF treatment procedure should be between 21 and 39 years;
- (iv)महिला शादीशुदा हो और <u>बह अपने पति</u> के साथ रह रही हो ; The woman has to be married and living with her husband;
- (v) सीएचएसएस के तहत मान्यता प्राप्त ओबीजी विशेषज्ञ की सलाह प्रस्तुत करने के पश्चात प्रत्येक मामले पर विचार करने के उपरान्त ही केवल आईवीएफ उपचार के अनुरोध को अनुमित दी जाएगी; Requests for IVF treatment will be allowed only on case to case basis, on furnishing advice from a recognised OBG specialist under CHSS;
- (vi) आईवीएफ प्रक्रिया को एक ऐसे निजी चिकित्सा संस्थान में करवाने की अनुमित दी जाएगी जो इस प्रयोजन हेतु राज्य/केंद्र सरकार के द्वारा पंजीकृत हो अथवा सीएचएसएस के तहत मान्यता प्राप्त हो और ऐसे संस्थानों के पास इस प्रक्रिया को संपन्न करने हेतु उपस्कर तथा मानवबल सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों;

IVF procedure will be allowed, in a private medical Institution, which is registered for such purpose with the State/Central Government or recognised under CHSS and has the necessary facilities including equipment and trained manpower for carrying out the procedure;

-3-

(vii) उक्त प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹ 65000/- (रुपए पैंसठ हजार मात्र) प्रति चक्र अथवा वास्तविक व्यय, जो दोनों में कम हो , तक होगी । इस राशि में दवाइयों का व्यय, पेशेवरों का व्यय , डिस्पोजेबल एवं मानीटरन का व्यय (व्लड टेस्ट, स्कैनिंग व्यय इत्यादि) शामिल होगा ;

The reimbursement will be restricted to ₹65,000/- (Rupees sixty five thousand only) per cycle or the actual cost, whichever is less. This amount will be inclusive of the cost of drugs, professional charges, disposables and monitoring cost (blood test, scanning charges, etc);

(viii) आईबीएफ प्रक्रिया पर खर्च होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 3 (तीन) नये चक्रों तक ही किए जाने की अनुमित है;

Reimbursement of expenditure incurred on IVF procedure will be allowed upto a maximum of 3 (three) fresh cycles;

(ix)कुल तीन चक्रों, जो हिताधिकारियों हेतु स्वीकार्य होंगे, को सम्मिलित करते हुए आईवीएफ उपचार का लाभ लेने हेतु एक ही बार अनुमित दी जाएगी। आवेदक एक वचननामा प्रस्तुत करेगा/करेगी कि उसने गत वर्षों में भारत सरकार से इस प्रकार के दावे की पहले कभी प्रतिपूर्ति नहीं ली है तथा न ही ऐसी कोई भी प्रतिपूर्ति भविष्य में लेगा/लेगी;

There will be a onetime permission for availing IVF treatment consisting of three cycles in total, which would be admissible to the beneficiary. The applicant shall submit an undertaking that he/she has not claimed the reimbursement earlier from the Government of India in the past and will not claim it in the future;

(x) चूंकि आईवीएफ उपचार एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है ,अत: कार्योत्तर अनुमोदन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ;

As IVF treatment is a planned procedure, no request for post facto approval will be entertained;

(xi) किए जाने वाले आईवीएफ उपचार के लिए अनुमति केवल विभागीय स्तर पर ही दी जाएगी। उक्त शर्तों को पूरा करने वाले मामले संबंधित केन्द्र/इकाई द्वारा पऊवि को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ अग्रेषित किये जाएं;

Permission for IVF treatment to be undertaken will be given only at the Departmental level. Cases fulfilling the above conditions may be forwarded by the respective Centre/Unit to DAE for consideration and approval;

-4-

(xii) इकाइयों द्वारा प्रतिपूर्ति के मामलों पर विचार तभी किया जाए जब आईवीएफ उपचार करने के लिए हिताधिकारियों द्वारा इस संबंध में पहले अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

Reimbursement cases can be considered by the Units only if prior approval was obtained by the beneficiary for undergoing the IVF treatment.

3. ये दिशानिर्देश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे तथा इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के बाद ही किये गये आईवीएफ उपचार के प्रतिपूर्ति के मामलों पर ही केवल विचार किया जा सकता है।

These guidelines come into force from the date of issue of the Office Memorandum and reimbursement cases of IVF treatment undertaken after the issue of the Office Memorandum only can be considered by the Units.

इसे सदस्य (वित्त), पऊआ की सहमति तथा सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This is issued with the concurrent of Member for Finance, AEC and approval of Secretary, DAE.

> (स्वाति पाण्डेय Swati Pandey) निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू)Director (IR&W)

सभी सीएचएसएस प्रशासनिक प्राधिकारी/ All CHSS Administering Authorities

- 1. निदेशक , बीएआरसी, मुम्बई / Director, BARC, Mumbai
- 2. निदेशक, आईजीसीएआर, कलपाक्कम / Director, IGCAR, Kalpakkam
- 3. निदेशक, जीएसओ, कलपाक्कम / Director, GSO, Kalpakkam
- 4. मुख्य कार्यकारी, एचडब्ल्यूबी, मुम्बई / Chief Executive, HWB, Mumbai
- 5. मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद/ Chief Executive, NFC, Hyderabad
- 6. स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा/ Station Director, RAPS, Kota
- 7. स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर / Station Director, TAPS, Tarapur
- 8. निदेशक, एएमडी, हैदराबाद / Director, AMD, Hyderabad
- 9. निदेशक, आरआरकेट, इंदौर/ Director, RRCAT, Indore
- 10. निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता/ Director, VECC, Kolkata

- 11. निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुम्बई / Director (HR), NPCIL, Mumbai
- 12. अध्यक्ष, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी/ Head, Medical Division, BARC
- 13. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कलपाक्कम/Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam
- प्रतिलिपि: 1. सभी इकाइयों/पीएसयू/सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रधान All Heads of DAE Units/PSUs/Aided Institution
 - 2. परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव का कार्यालय O/o chaiman, AEC, Secretary, DAE
 - 3. अपर सचिव के निजी सचिव, पऊवि PS to AS, DAE
 - अध्यक्ष, बीएआरसीओएटी, टीएपीपी, तारापुर- दिनांक 10.07.2012 के पत्र सं BARCOAT/PKJ/ 2012/028 के संदर्भ में / President BARCOAT, TAPP, Tarapur - w.r.t. letter no. BARCOAT/PKJ/ 2012/028 dated 10/07/2012.
 - उप स्थापना अधिकारी, प्रशा-I, बीएआरसी, ट्रॉम्बे- दिनांक 19.03.2013 के बीएआरसी आईडी नोट सं 32(1)/2007(A)/Admn-I/OPA-33435 के संदर्भ में / DEO, Admn-I, BARC, Trombay - w.r.t. BARC ID Note no. 32(1)/2007(A)/Admn-I/OPA-33435 dated 19/03/2013.
 - 6. सचिव स्टाफ साइड, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
 - 7. महा सचिव, नाफी General Secretary, NFAEE
 - 8. प्रशासनिक अधिकारी-III, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी AO-III, BARC Hospital, BARC
 - 9. सहायक निदेशक (राभा), पऊवि Asst. Director (OL), DAE

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू)Director (IR&W)